न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—178/2019/दावा

1. हरवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र स्व0 गणेश सिंह
2. कमल कंवर }
3. पुष्पा कंवर } पुत्रियां स्व0 गणेश सिंह
4. अचन कंवर पत्नि स्व. गणेश सिंह
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. दयाल सिंह
6. सुमन कंवर पुत्री स्व. दयाल सिंह
7. कमला कंवर पत्नि स्व0 दयालसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. पटवारी, पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. उप—पंजीयक, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
10. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः

1. श्री जितेन्द्र डाणियां वकील वादी की ओर सें।
2. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर सें।

निर्णय दिनांक 28.01.2020

1. वाद में वादीगण का कथन व वादसार इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 246 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 1.78 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.83 हैक्टर वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो वादी के दादा स्वर्गीय गणेशसिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह के कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है। उक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्यार 1 ता 7 की संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अविभाजित संपदा है तथा खातेदार गणेशसिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह का स्वर्गवास हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/5 में सें 1/4 अर्थात 1/20, प्रतिवादिया संख्या 6 का हिस्सा 1/5 में सें 1/4 अर्थात 1/20, प्रतिवादीया संख्या 7 का हिस्सा 1/5 में सें 1/4 अर्थात 1/20 तथा वादी का हिस्सा 1/5 में सें 1/4 अर्थात 1/20 पैत्रिक है तथा इसी अनुसार खातेदार गणेशसिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतकरण भरा जाना है परन्तु पटवारी हल्का बाज्यावास द्वारा आज तक नामांतकरण नहीं भरा गया है। विवादित भूमियों पर इसी अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है एवं अन्य भूमियों में मृतक गणेशसिंह की विरासत का नामांतकरण भरा जा चुका है। वादी के पिता दयालसिंह का स्वर्गवास वादी के दादा गणेशसिंह के जीवनकाल में ही हो चुका है एवं मृतक वादी के दादा गणेशसिंह के अन्य वारिशान यानि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उक्त पैत्रिक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियों खसरा नम्बर 246 व 247 तन बाज्यावास का नामांतकरण अपने स्वयं के नाम सें खुलवाने व दयालसिंह के वारिशान को उनके पैत्रिक हक हिस्से सें वंचित करने की कोशिश में है जबकि उक्त भूमियों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का हिस्सा उक्तानुसार है एवं इसी अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा करवाने हेतु वादी द्वारा पैत्रिक खातेदारी की उद्घोषणा का दावा लाया जाना लाजमी हुआ है। विवादित भूमियों में वादी का हक, हिस्सा 1/20 जन्मजात पैत्रिक है एवं वादी उक्त हकहिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा करवाने का हक अधिकारी हैपरन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसमें दखल दी जा रही है जो कतई न्यायोचित नहीं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

है। दिनांक 15.12.2019 को प्रतिवादीगण के कहने पर कि स्वर्गीय गणेश सिंह के नाम खातेदारी की भूमियों में आपको कोई हिस्सा नहीं देंगे तब वादी ने प्रतिवादीगण को यह समझाने का प्रयास किया व सहमति सें उसका पैत्रिक हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने अन्य हस्तांतरित करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण आपस में मिलकर विवादित आराजियात को बिना वादी की सहमति के अन्यत्र रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने में सफल हो गये तो वादी को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा संभव नहीं है। अतः वादी को वादवर्णित भूमियों में सें मृतक खातेदार गणेशसिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह के नाम सें दर्ज खातेदारीशुदा हिस्से में सें वादी के पैत्रिक हक हिस्से 1/20 का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है तथा वादी के नाम खातेदारी की उद्घोषणा होने तक प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त पैत्रिक संपदा को किसी भी प्रकार सें खुर्दबुर्द कर वादी के उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी करने आदि सें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर सें वकील श्री राजेन्द्र सिंह रणवां हाजिर आये। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़

Scanned by CamScanner

है। प्रतिवादीगण की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 1.78 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.83 हैक्टर वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार गणेश सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी हरवेन्द्र सिंह को 1/20 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रस्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 में सें प्रत्येक को 1/20, 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01..2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

हरवेन्द्र सिंह बनाम अमरसिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 178/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 28.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री जितेन्द्र डाणियां** मिनजानिब मुददई व श्री राजेन्द्र सिंह रणवां मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 1.78 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.83 हैक्टर वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार गणेश सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी हरवेन्द्र सिंह को 1/20 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रस्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 में सें प्रत्येक को 1/20, 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner